न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 31/2018

तसलीम अहमद निवासी वार्ड नं0 3 कस्बा उनियारा जिला टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 09.07.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 22.01.2018 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–ग्राम कस्बा उनियारा के हाल खसरा नम्बर 1701 की किस्म गैर मुमकिन आबादी की जगह गैर मुमकिन कब्रस्तान करने बाबत व राजस्व रिकार्ड मे अंकन करने बाबत प्रकरण मे जिला कलेक्टर द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही मय परिवाद के साथ संलग्न सम्पूर्ण पत्रादि आदि की नकले प्रमाणित प्रति समयबद्वता के साथ उपलब्ध करावे।

2–उक्त परिवाद के निपटारे की समय सीमा कितने दिन की हैं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 969 दिनांक 25.06.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 576 दिनांक 26.06.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक से संबंधित होने से प्रार्थना पत्र को दिनांक 25.01.2018 को प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक अन्तरित किया गया है। प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलेक्ट्रेट टोंक द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण मे आक्षेपो की कमी–पूर्ती करने हेतु उनके पत्र क्रमांक 9692 दिनांक 3–11–2017 से उपखण्ड अधिकारी उनियारा को बिन्दूवार रिपोर्ट मय टिप्पणी के भिजवाने हेतु लिखा गया है। आवेदक को दिनांक 02.02.2018 से सूचना के संबंध मे सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक